DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

CHILLA SPORTS COMPLEX

Vasundhara Enclave, Delhi-110096 Email:- cscdda@gmail.com,

F23(05) CSC/DDA/2024/566

Date: 10, Oct 2024

Auction Notice No. 01 /CSC/DDA/2024-25 Re Call

The auction for Auction of dry mixed cut wood, branches & logs etc at Chilla Sports Complex will be held on as is where basis is on date, time and place shown below. The details of the material can be inspected at the auction site during office hours on any working day, prior to the date of auction, between 11.00 AM to 04.00 PM at Chilla Sports Complex premises.

Before start of bid each bidder is required to deposit Rs.5,000/- (Rs. Five Thousand Only) as earnest money in the form of Pay Order/Demand Draft in favour of "CAU (Sports), DDA" to be submitted Accounts branch in Chilla Sports Complex, which will be refundable after the auction is completed except for the highest bidder who will have to deposit 25% (Pay Order/Demand Draft) of the offered amount after adjusting Earnest Money of Rs. 5,000/- as precaution money. Balance amount of 75% (including on 100% of the total offered amount) shall be deposited through Bank Pay Order/Demand Draft in favour of "CAU (Sports), DDA" within 20 days from the date of issue of demand/acceptance Letter or any extension thereof. In case the amount is not deposited within the stipulated period the entire precaution money (25% of the offered amount) deposited by the bidder shall be forfeited absolutely and no claim on this account will be raised by in any forum or court. The bidder shall be informed accordingly.

The Commissioner (Sports), DDA reserves the right to reject any bidder without assigning any reason whatsoever.

Venue of Auction : Chilla Sports Complex, DDA, Vasundhara Enclave, Delhi-

110096.

Reserve Price : Rs 2880/-

Conditions:-

- 1. No T&P shall be issued by the Department.
- 2. Bidder should have a valid GST registration.
- 3. The agency will be responsible if any loss/damage/injury/mis-happening caused during the time period of work and removal of item.
- 4. The agency will lift the items as per orders/instructions of Secretary (CSC) and AD(Hort.)/CSC.
- 5. Validity of the Bid shall be 30 days from the date of Auction.
- 6. For any lapse on the part of the agency, the decision of the Commissioner (Sports) shall be final and binding upon the bidder and shall be called in any question before any forum.
- 7. The agency/contractor will be liable for any Tax liability.
- 8. The GST shall be charged extra as applicable.
- 9. Time allowed for lifting the materials shall be 30 days.
- 10. In case the material is not lifted within the stipulated period the earnest money deposited by the highest bidder shall be forfeited.

A.D.(Hort.)/CSC

Copy to:-

Commissioner (Sports) DDA: For information please.
Sr. A.O/CAU (Sports) - For information please.

3. Auction Committee Members -

SO(Hort.)/CSC, AD(Hort.)/HD-7 & AAO/CSC.

4. Director (System), DDA through e-mail: ddatender@dda.org.in.

5. Secretaries of all Sports Complexes with the request to arrange to place the auction notice on the notice board of the complexes.

6. S.O/AD(Hort.)/CSC For ensuring proper display of items on the above mentioned specified date.

7. Notice Board/CSC.

A.D.(Hort.)/CSC

दिल्ली विकास प्राधिकरण चिल्ला खेल परिसर वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-110096 ईमेल:- cscdda@yahoo.com

दिनांक:

Oct 2024

नीलामी सूचना क्रमांक 01 /सीएससी/डीडीए/2024-25 Re Call

चीला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सूखी मिश्रित कटी हुई लकड़ी, शाखाओं और लट्ठों आदि की नीलामी नीचे दर्शाई गई तिथि, समय और स्थान के आधार पर आयोजित की जाएगी। सामग्री के विवरण का निरीक्षण नीलामी स्थल पर कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की तिथि से पहले पूर्वाह्न 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में किया जा सकता है।

बोली शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को खाता शाखा जमा करने के लिए "सीएयू (स्पोर्ट्स), डीडीए" के पक्ष में पे ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि के रूप में 5,000 / - जमा करना आवश्यक है। चीला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो नीलामी पूरी होने के बाद वापस किया जाएगा, उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर, जिसे रुपये की बयाना राशि को समायोजित करने के बाद प्रस्तावित राशि का 25% (पे ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट) जमा करना होगा। 5,000/- ऐहतियाती राशि के रूप में। मांग/स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर 75% की शेष राशि (कुल प्रस्तावित राशि के 100% सहित) "सीएयू (स्पोर्ट्स), डीडीए" के पक्ष में बैंक पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी। या उसका कोई विस्तार। यदि राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी एहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25%) पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और इस खाते पर किसी भी मंच या अदालत द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

आयुक्त (खेल), डीडीए बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली लगाने वाले को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नीलामी का स्थान: चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-110096।

दिनांक और समय: .. 🕍 Oct 2024 पूर्वाहन 11.00 बजे।

आरक्षित मूल्य : रु. 2880/-

स्थितियाँ:-

विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।

2. बोलीदाता के पास वैध जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।

 कार्य की समयाविध और मंद्र को हटाने के दौरान किसी प्रकार की हानि/क्षिति/चोट/दुर्घटना होने पर एजेंसी जिम्मेदार होगी।

4. एजेंसी सचिव (सीएससी) और एडी (बागवानी)/सीएससी के आदेश/निर्देशों के अनुसार वस्तुओं को

बोली की वैधता नीलामी की तिथि से 30 दिन होगी।

6. एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए, आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम और बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी फोरम के समक्ष किसी भी प्रश्न में बुलाया जाएगा।

एजेंसी/ठेकेदार किसी भी कर देयता के लिए उत्तरदायी होंगे।

जीएसटी लागू होने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

9. सामग्री उठाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।

10. यदि सामग्री निर्धारित अवधि के भीतर नहीं उठाई जाती है तो उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

एडी (बागवानी)/सीएससी

कॉपी:-

आयुक्त (खेल) डीडीए: कृपया जानकारी के लिए। सीनियर ए.ओ/सीएयू (खेल) - कृपया जानकारी के लिए। नीलामी समिति के सदस्य - एडी (बागवानी) और एएओ / सीएससी। निदेशक (सिस्टम), डीडीए ई-मेल के माध्यम से: ddatender@dda.org.in। सभी खेल परिसरों के सचिवों से अनुरोध है कि नीलामी नोटिस को परिसरों के नोटिस बोर्ड पर लगाने की 1. 2. 3.

4.

5. व्यवस्था करें।

एस.ओ./एडी (बागवानी)/सीएससी उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि पर वस्तुओं का उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के 6.

नोटिस बोर्ड/ सीएससी । 7.

एडी (बागवानी)/सीएससी